बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

संकल्प

श्री कृपा शंकर पाण्डेय, काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा पत्रांक 796/जि0गो0 दिनांक 16.03.2016 एवं पूर्व के पत्रांक 1231/सी0 दिनांक 14.07.2015 द्वारा कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये गये है। प्रतिवेदित आरोपों में कारा के सप्लायर की बेटी का शारीरिक शोषण किये जाने, अवैध कार्य करने एवं कई अन्य गंभीर आरोप है। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा सरकारी सेवकों के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

2. अतः प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री कृपा शंकर पाण्डेय, काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबनावस्था में श्री पाण्डेय को मंडल कारा, बेतिया के साथ संलग्न किया जाता है। श्री पाण्डेय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के अनुसार निलंबनावस्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का आदेश अलग से निर्गत की जा रही है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.3.16

(राजीव वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– कारा/नि0को(उपा0)–02–07/2015...1722... दिनांक–...16-3-16...
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16-3-16
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– कारा/नि0को(उपा0)–02–07/2015...1722... दिनांक–...16-3-16...
प्रतिलिपिः–श्री कृपा शंकर पाण्डेय, काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज को सूचनार्थ।

16-3-16
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– कारा/नि0को(उपा0)–02–07/2015...1722... दिनांक–...16-3-16...
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ। निदेशानुसार अनुरोध है कि नियमित पदस्थापन तक अपने स्तर से मंडल कारा, किशनगंज में अधीक्षक के पद पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

16.3.16
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– कारा/नि0को(उपा0)–02–07/2015...1722... दिनांक–...16-3-16...
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/कारा महानिरीक्षक कोषांग/अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.16
सरकार के संयुक्त सचिव